मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 (अग्रहायण 20, 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.35 बजे समवेत हुई.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 10 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(प्रदेश में आत्महत्याएं, पुलिस निरोध एवं जेल में मृत्यु की घटनाओं संबंधी श्री रामनिवास रावत के प्रश्न संख्या-3 (ता.प्र.क्र.194) पर श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 111 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 120 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(ग्वालियर शहर में विद्युत के निजीकरण संबंधी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकृत कर चर्चा की मांग करते हुए श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य गले में तख्ती लटका कर गर्भगृह में आकर बैठे तथा कुछ समय पश्चात्, श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के अनुरोध एवं आसंदी के निर्देश पर वापस अपने आसन पर गए।)

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य ने इंदौर शहर में सुरक्षा संबंधी पुलिस संसाधनों की व्यवस्था सीमित होने,
(2) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य ने सागर के बुन्देलखण्ड मेडिकल कालेज में दवाओं की कमी होने,
(3) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी, सदस्य ने बड़वाह की बैडिया मिर्ची मण्डी को स्थानांतरित किये जाने,
(4) श्री आत्माराम पटेल, सदस्य ने कसरावद विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में अनेक शालाएं भवन-विहीन होने,
(5) श्री के.पी. सिंह, सदस्य ने सिंध नदी से शिवपुरी नगर को पेयजल उपलब्ध कराये जाने,
(6) श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य ने इन्दौर के रहवासी क्षेत्र में अवैध बायलर चलाने से दुर्घटनाएं होने,
(7) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने मुरैना की सबलगढ़ तहसील में चम्बल नदी को अटार घाट पर पुल निर्माण करने,
(8) श्री रमेश दिलीप भटेरे, सदस्य ने लांजी की माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर की कमी होने,
(9) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य ने भोपाल के सुभाष नगर विश्रामघाट में विद्युत शवदाह गृह बंद होने तथा
(10) श्री पारस सकलेचा, सदस्य ने रतलाम की बंद सज्जन मिल की जमीन गलत तरीके से बेची जाने,
संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने उनके विभाग की अधिसूचनाएं –
(क) दिनांक 31 मार्च, 2012 तथा
(ख) (i) दिनांक 3 अप्रैल, 2012,
(ii) दिनांक 8 मई, 2012 तथा
(iii) दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 पटल पर रखीं।

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के वार्षिक लेखे, वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 पटल पर रखे।

4. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम (138) (3) को शिथिल करके, आज की कार्यसूची में उल्लेखित 4 ध्यानाकर्षण सूचनाएं लिये जाने सम्बन्धी घोषणा की गई। तदनुसार -

(1) सर्वश्री बिसाहूलाल सिंह, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी एवं रामनिवास रावत, सदस्यगण ने अनूपपुर जिले के ग्राम निगवानी के उप सरपंच की हत्या होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। । श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री रामलखन सिंह, सुखदेव पांसे, रामनिवास रावत, पारस सकलेचा, हेमराज सिंह कल्पोनी, श्रीकांत दुबे प्रदीप अमृतलाल जायसवाल, सदस्यगण तथा श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश के शिक्षाकर्मियों द्वारा सामूहिक हड़ताल किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। । श्री नानाभाऊ मोहोड़, राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा तथा डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा तथा तत्पश्चात् श्री रामलखन सिंह, बसपा के सदस्य द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

(3) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर जिले के वीरपुर थाना प्रभारी द्वारा पद का दुरूपयोग किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। । श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य ने शिवपुरी जिले के ग्राम इन्दरगढ़ स्थित आदिवासियों को पट्टे पर दी गई भूमि का अवैध विक्रय किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। । श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से श्री हुकुम सिंह कराड़ा, सदस्य को विधान सभा के दिसम्बर, 2012 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की गई।

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री अलकेश आर्य, सभापति ने याचिका समिति के बाईसवें से तीसवें तक कुल 9 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार दैनिक कार्यसूची में उल्लेखित निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई:-

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-टीकमगढ़)
(2) श्री रमेश प्रसाद खटीक (जिला-शिवपुरी)
(3) श्री जुगुल किशोर (जिला-सतना)
(4) श्री रामनिवास रावत (जिला-श्योपुर)
(5) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(6) श्री प्रेमनारायण ठाकुर (जिला-छिंदवाड़ा)
(7) श्री रामलल्लू वैश्य (जिला-भोपाल)

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2012 (क्रमांक 26 सन् 2012) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(2) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, संस्कृति मंत्री ने सांची बौद्ध - भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 (क्रमांक 35 सन् 2012) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(3) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 36 सन् 2012) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(4) श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 37 सन् 2012) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(5) श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री ने मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (निरसन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 38 सन् 2012) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

9. वर्ष 2012-13 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा यह सूचित किया गया कि सदन की परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है, अत: वित्त मंत्री द्वारा सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाएं। तदनुसार, श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने सदन की सहमति से राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि :-

"दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 75 एवं 77 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर चार हजार नौ सौ दस करोड़, तीन लाख, तीस हजार, सात सौ बावन रूपये की अनुपूरक राशि दी जाए."

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(अपराह्न 12.56 से 3.03 बजे तक अन्तराल)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन
(3) श्री रामलखन सिंह
(4) श्री पारस सकलेचा
(5) श्री रामनिवास रावत
(6) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(7) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(8) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल
(9) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(10) श्री श्रीकांत दुबे
(11) श्री ओम प्रकाश सकलेचा
(12) श्री नारायण सिंह पट्टा
(13) श्री हेमराज सिंह कल्पोनी
(14) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
(15) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(16) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(17) श्री बालाराम बच्चन
(18) श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2012 (क्रमांक 33 सन् 2012) पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2012 (क्रमांक 33 सन् 2012) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 5.46 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 (अग्रहायण 21, 1934) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 11 दिसम्बर, 2012